

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 46/2023

उनवान

- 1-3 गीता, प्रकाश, बंदी पिता मगना बलाई निवासी फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा  
4- राधा पत्नी मगना बलाई निवासी फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- गोपाल पुत्र अणदा गैरवा निवासी फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा  
2- रामा पुत्र तेजु बैरवा निवासी फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा  
3- देबी पुत्र उगमा भील निवासी फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अनिल कुमार शर्मा  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956


-:: निर्णय ::-

दिनांक- 20.06.2023


प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम फुलिया खुर्द पटवार हल्का फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1703/3071 रकबा 0.18 है0, 1846 रकबा 0.15 है0, 1847 रकबा 0.15 2933 रकबा 0.03 है0, 2934 रकबा 0.03 है0, 2940/3077 रकबा 0.18 है0, 978/3060 रकबा 0.76 है0 कुल कित्ता 7 रकबा 1.48 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की पेरा सं0 01 में वर्णित आराजियात के विपक्षीगण पड़ौसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते हैं। प्रार्थी अपनी आराजियात की मेड़ों से घास काटाते समय विपक्षीगण विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली राजस्व मंत्रालियक कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल के पश्चात दिनांक 20.06.2023 को पेश हुई। प्रकरण के अवलोकन से विपक्षीगण सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। किन्तु आज दिनांक तक विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए हैं एवं न ही उनकी तरफ से कोई प्लीडर उपस्थित हुआ है। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम फुलिया खुर्द पटवार हल्का फुलिया खुर्द संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा फुलिया खुर्द में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजियात कित्ता 7 रकबा 1.48 हैक्टेयर की पुक्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 600/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(पुनीत कुमार गेलड़ा)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा